<u>परियोजना संक्षेपिका</u>

1. परियोजना का नामः **Mainstreaming Conservation and Sustabiable Use of Medicinal Plant Diversity in Three Indian States. (Chhattisgarh, Utaranchal and Arunachal Pradesh)**

2. परियोजना अवधि . 5 वर्ष (2008-2012)

   कार्यान्वयन अवधि - 7 वर्ष (2008-2014)

3. परियोजना लागत (छ.ग.) - रूपये 1712.11 लाख

4. परियोजना प्रायोजक - UNDP - GEF

   (यूनाईटेड नेशन्स डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम- ग्लोबल इन्वायरनमेंट फैसिलिटी - भारत शासन)

5. परियोजना में विभिन्न संस्थानों की भागीदारी (लाख रूपये में)

विवरण	**जी.ई.एफ.**	**केन्द्र सरकार**	**अशासकीय संस्थान**	**कुल**
नगद	740.25	967.21	4.60	1712.11
कुल योगः-	**740.25**	**967.21**	**4.63**	**1712.11**

राज्य शासन की वर्तमान वनौषधि विकास की योजनाओं में किये गये वित्तीय प्रावधानों का समावेश इस परियोजना के राज्यांश के विरूद्ध किया जा सकेगा ।

<u>योजना का परिचयः-</u>

UNDP तथा GEF द्वारा प्रायोजित उपरोक्त परियोजना को प्रारंभिक तौर पर भारत के तीन राज्यों में छ.ग., अरूणांचल, तथा उत्तरांचल में प्रारंभ किया गया है । इस महत्वकाक्षी परियोजना का उद्देश्य दीर्घ अवधि में वनौषधि विविधता का संरक्षण करना है । परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली,, FRLHT बैंगलोर, राज्यों के वन विभाग, राज्यों के औषधीय पादप बोर्ड तथा राज्य के अशासकीय संस्थान की मुख्य भूमिका होगी ।

परियोजना के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न उददेश्यों की पूर्ति प्रस्तावित है :-

1. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों हेतु वर्तमान दिशा निर्देशों में आवश्यक बिन्दुओं का समावेश करना ।
2. वनौषधि पौधो के सतत सवंहनीय दोहन एवं परंपरागत उपयोग हेतु वर्तमान कानूनी प्रकियाओं में आवश्यक बिन्दुओं का समावेश करना ।
3. दूरस्थ अंचलों में वनौषधि द्वारा आय के साधनों का निर्माण, वनीकरण एवं कृषिकरण हेतु वनौषधि पौधों की पहचान करना ।
4. वनौषधि के सतत संवहनीय प्रबंधन हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना ।
5. वनौषधियों का क्षति का आंकलन (थ्रेट एसेसमेंट) कर संरक्षण हेतु चिन्हाकित करना ।
6. भारतीय वन सेवा के पाठ्यक्रम में वनौषधियों से संबंधित जानकारियों को सम्मिलित करना ।
7. वनौषधियों की संरक्षण हेतु राज्य की वर्तमान वन नीति में आवश्यक बिन्दुओं का समावेश करना ।
8. राज्य वनौषधि बोर्ड का सशक्तीकरण करना ।
9. वन विभाग के वर्किंग प्लान में वनौषधियों के संरक्षण के विषय पर और अधिक प्रभावी कार्यनीति का समावेश करना ।
10. वनौषधियों के अन्तः स्थलीय एंव बाहय स्थलीय संरक्षण हेतु कार्यक्रम का प्रबंधन/प्रदर्शन करना ।
11. वनौषधियों के सतत संवहनीय संरक्षण एवं उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर वन विभाग में क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित करना ।
12. समुदायिक भूमि पर वनौषधियों के संरक्षण हेतु प्रारंभिक परियोजना स्थल का निर्धारण करना ।
13. वनौषधियों के संरक्षण हेतु जन समुदाय का सशक्तीकरण करना ।
14. वनौषधियों के परम्परागत ज्ञान का अभिलेखीकरण ।
15. अन्य राज्यों में इस मॉडल के पुनर्वर्तिकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार सामग्री का निर्माण करना ।

परियोजना के संचालन हेतु दिनांक 09.09.08 को नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में श्री आर.के. शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ एवं श्री एस.सी. अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड, रायपुर ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया । राज्य में परियोजना के कियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड को ''परियोजना निदेशक'' घोषित किया गया है ।